सेवा में,

थाना प्रभारी,

सुखदेव नगर, रांची।

विषय:- स्क्टी विक्रेता द्वारा धोखा-धडी के संबंध में।

महोदया,

मेरा नाम रामदीप राम और मैं प्रेमा इन्कलेव, लटमा रोड़ हटिया में रहता हूँ। और मैं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड़, रांची (सचिवालय) में कार्यरत हूँ।

महोदय/महोदया मैंने एक इलेक्ट्रानिक स्कूटी दिनांक- 22.08.2020 को BERMAN ELECTRIC से 52500 रू0 (बावन हजार एवं पांच सौ रूपये) में खरीदा था। दुकान मालिक के विक्रेता का नाम पंकज सोनी एवं सुबोध है। जब मैं स्कुटी खरीदा उस समय मुझे स्कुटी से संबंधित किसी प्रकार का कागजात विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया, और मुझे विक्रेता द्वारा बोला गया कि स्कुटी से संबंधित सारे कागजात और सर्विस आपको रियाडा अवस्थित हमारे सर्विस सेन्टर में मिलेगा। सर्विस सेन्टर में आपको सुबोध जी मिलेंगे आपको उनसे मिलना होगा। मैं विक्रेता के बताए अनुसार सुबोध जी से मिला, लेकिन सुबोध जी बोलें कि कागजात आपको दुकान पर ही मिलेगा यहां नहीं मिलेगा।

इस दौरान मात्र एक से डेढ महीने के अन्दर ही स्कुटी की बैटरी पूरी तरह से खराब हो गई। मैं नया बैटरी बदलने हेतु रियाडा जाकर गाडी सर्विसिंग सेन्टर को दे दिया। 4-5 महीने बीतने के उपरांत उन्होंने बोला कि अभी नया बैटरी नहीं है एक सप्ताह के बाद नया बैटरी आएगा तो लगा देंगे। इस दौरान वे फोन भी नहीं उठाते थें और अगर किसी तरह से उठा लेते थे, तो सिर्फ आश्वासन देते थें कि आपके स्कुटी का बैटरी हम कल लगा देंगे। काफी बोलने के पश्चात सुबोध जी के द्वारा पुराना बैटरी स्कुटी में लगा दिया गया और बोलें कि जब नया बैटरी आएगा तो लगा देंगे एक सप्ताह में। 2-4 दिन के उपरांत वह पुराना बैटरी फिर से खराब हो गया। अब फ़ोन करने पर वो बैटरी का फिरसे पैसा मांगते है।

महोदय उनके द्वारा इस दौरान सर्विस न देने एवं सर्विस के लिए रियाडा बार दौड़ाने, जो हमारे निवास स्थान से लगभग 15-20 km है और स्कूटी का कोई पेपर न देने से मै परेशान हूँ|

कृप्या मेरी समस्या का निराकरण करने हेतु कुछ समाधान निकाला जाय।

धन्यवाद।

विश्वासभाजन,

(रामदीप राम)

Date:-11-09-2021

मोबाईल नं0-8210066905,7677203046